UPSP010060312026

<u>न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एन. डी. पी. एस. एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश,</u>
<u>कक्ष संख्या–12, सहारनपुर ।</u>

पीठासीन अधिकारी– निशान्त देव, उच्चतर न्यायिक सेवा (जे.ओ.कोड–यू.पी. 1704)
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– 2333/2026

सलमान उर्फ पिया पुत्र जमशेद, निवासी मौ0 कमेला कालोनी, करेशियान मस्जिद के पास, थाना मण्डी, सहारनपुर ।

..... प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राज्य ..... अभियोजन

मु.अ.सं.– 238/2026
धारा– 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट
थाना–कुतुबशेर, जिला– सहारनपुर।

<u>08–06–2026</u>

प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थी/अभियुक्त **सलमान उर्फ पिया** पुत्र जमशेद द्वारा मु0अ0सं0– 238/2026, धारा– 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट, थाना कुतुबशेर, जिला सहारनपुर के अभियोग में प्रस्तुत किया गया है।

जमानत प्रार्थना पत्र के साथ जमशेद पुत्र शरीफ अहमद का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, अभियुक्त का इससे पूर्व कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा माननीय उच्चतम न्यायालय में ना तो प्रस्तुत किया गया, ना विचाराधीन है और ना ही निरस्त हुआ है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि दिनांक 26.05.26 को वादी मुकदमा उ0नि0 बलवीर सिंह मय अन्य पुलिस कर्मचारीगण मय प्राईवेट वाहन के बहवाले रपट नं0–45 समय 18:01 बजे थाना हाजा से रवाना होकर सहारनपुर अम्बाला रोड पर गश्त के दौरान बड़ी नहर की ओर जाने वाले रास्ते पर बने खण्डहरों के पास सूनसान स्थान पर एक व्यक्ति स्कूटी लिये खड़ा दिखाई दिया। पुलिसवाले रात्रि का समय होने तथा एकान्त में व्यक्ति के खड़े होने का कारण जानने के लिए उसके पास पहुंचे तो जैसे ही पुलिसवाले गाड़ी से उतरे तो अचानक हम पुलिसवालों को अपने सामने देखकर शकपकाकर स्कूटी पीछे मोड़कर भागने का प्रयास करने लगा। शक बदमाश होने पर पुलिसवालों ने एकबारगी दबिश देकर, सिखलाये गये तरीके से आवश्यक बल प्रयोग कर घेर घोटकर उस व्यक्ति को पकड़ लिया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो इस व्यक्ति ने अपना नाम **सलमान उर्फ पिया** पुत्र जमशेद नि० मौ० कमेला कालोनी, कुरेशियान मस्जिद के पास, थाना कोतवाली मण्डी, सहारनपुर, उम्र करीब 24 वर्ष बताया। पुलिसवालों को देखकर भागने का कारण पूछा तो बताया कि साहब मेरे हाथ में जो थैली है इसमें चरस है जिसे मैं यहां बेचने की फिराक में खड़ा था। सलमान उर्फ पिया उपरोक्त को धारा 50 एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों से अवगत कराते हुए बताया कि आप अपनी जामातलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी/मजिस्ट्रेट के समक्ष लिवा सकते हो। इस पर पकड़े गये व्यक्ति सलमान उर्फ पिया उपरोक्त ने बताया कि साहब मुझे किसी बड़े अधिकारी के पास नहीं जाना है। आपने मुझे पकड़ लिया है तो आप ही मेरी तलाशी ले लीजिए। वादी उ0नि0 द्वारा सलमान उर्फ पिया उपरोक्त से सहमति पत्र तैयार कर अलामात बनवाये गये तथा पकड़े गये व्यक्ति द्वारा दाहिने हाथ में पकड़ी काले रंग थैली को खोलकर देखा तो इस पालीथीन में लिपटा हुआ काले रंग का ठोस पदार्थ बरामद हुआ। इसे सूंघा व हमराहियान को सुंघाया गया तो प्रथम दृष्टया **चरस** है। अवैध चरस के

बारे में पूछा तो बताया कि यह चरस मैं चिलकाना अड्डे के पास एक व्यक्ति से जिसका नाम पता मुझे मालूम नहीं है, से खरीद लेता हूं और लोगों को चरस बेचकर अपने घर का खर्चा चला लेता हूं। अभियुक्त की जामातलाशी से कुल 190 रूपये बरामद हुए। अभियुक्त से बरामद रूपये मौके पर ही इसके वापस दिये गये। अभियुक्त से स्कूटी के कागजात मांगे गये तो अभियुक्त स्कूटी के कागजात दिखाने से कासिर रहा। इस पर वादी उ0नि0 द्वारा स्कूटी होन्डा एक्टीवा रजि० नं० UP11CZ3475 रंग मरून को मौके पर सीज किया गया। अभियुक्त से बरामदा चरस वादी उ0नि0 द्वारा मौके पर विवेचना किट मे उपलब्ध इलेक्ट्रानिक कांटे से कांटे से तौला गया तो अभियुक्त से बरामद चरस का कुल वजन **435 ग्राम** है। अभियुक्त से बरामद चरस रखने का लाईसेंस तलब किया गया तो दिखाने में कासिर रहा। अभियुक्त का यह जुर्म धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट की हद को पहुंचता है। अभियुक्त को कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय करीब 21:27 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। उक्त आधार पर अभियुक्त सलमान उर्फ पिया के विरुद्ध धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपने जमानत प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है और तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी को वाद उक्त में असत्य व निराधार तथ्यों पर साजिशी व रंजिशन झूठा व गलत फंसाया गया है। प्रार्थी को गांव की पार्टीबाजी व रंजिश के कारण झूठा व गलत अभियुक्त बनाया गया है। वास्तविकता यह है कि प्रार्थी को गांव की पार्टीबाजी व रंजिश के आधार पर पूछताछ के बहाने घर से उठाकर थाने ले जाकर तमाम लिखा पढ़ी थाने पर बैठकर करके प्रार्थी का इस मामले में झूठा चालान किया गया है। कथित घटना दिनांक 26.05.2026 को समय 21:27 बजे की दिखायी है, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 27.05.26 को 01:03 बजे की दिखायी है। देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। प्रार्थी से कोई कथित बरामदगी नहीं हुई है। जो बरामदगी दिखायी गयी है, वह प्रार्थी पर झूठी आरोपित की गयी है। पुलिस ने धारा 50, 52 एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों का पालन नहीं किया है। प्रार्थी का कोई भी पूर्व आपराधिक इतिहास किसी प्रकार का नहीं है। प्रार्थी दिनांक 27.05.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को दौरान वाद जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एन.डी.पी.एस. एक्ट) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त सलमान उर्फ पिया को पुलिस कर्मियों द्वारा मौके पर गिरफ्तार किया गया है तथा उसके कब्जे से **435 ग्राम** अवैध **चरस** की बरामदगी हुई है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। प्रार्थी/अभियुक्त जमानत प्रदान किये जाने के उपरांत अपराध की पुनरावृत्ति करेगा तथा जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

मैंने विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एन.डी.पी.एस. एक्ट) एवं प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा प्रस्तुत तर्कों के परिपेक्ष्य में प्रपत्रों का अवलोकन किया।

उपलब्ध प्रपत्रों के परिशीलन से स्पष्ट है कि मामले में पुलिस द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त **सलमान उर्फ पिया** को मौके से गिरफ्तार किये जाने पर उसके कब्जे से **435 ग्राम** अवैध **चरस** बरामद होना अभिकथित है। उपरोक्त बरामद चरस के विषय में **केन्द्रीय सरकार के नोटिफिकेशन का आ.1055 (ई). दिनांक 19.10.2001 केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61)** के सारणी में निम्न इन्द्राज हैः–

नोटिफिकेशन में क्र. सं.	पदार्थ का नाम	अल्पमात्रा	वाणिज्यिक मात्रा	अभियुक्त से बरामद
23	चरस	100 ग्राम	1000 ग्राम	**435 ग्राम**

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अभियुक्त से बरामद चरस की मात्रा वाणिज्यिक मात्रा से तो कम है, लेकिन अल्पमात्रा से काफी अधिक है। बरामदगी की मात्रा अधिक है, अपराध गम्भीर प्रकृति का है। मामले में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा स्मैक खरीदने–बेचने का काम करना भी दर्शाया गया है। स्वापक औषधियों एवं मादक पदार्थों की अवैध तस्करी से बड़ी संख्या में जन समाज पर दुष्प्रभाव पड़ता है। प्रस्तुत मामले की विवेचना अभी प्रचलित है तथा प्रारम्भिक स्तर पर है।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत, गुणदोष पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **सलमान उर्फ पिया** पुत्र जमशेद की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–238/2026, अन्तर्गत धारा– 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट, थाना कुतुबशेर, जिला सहारनपुर के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र **निरस्त** किया जाता है।

दिनांक : 08–06–2026

(निशान्त देव)
विशेष न्यायाधीश (एन. डी. पी. एस. एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–12,
सहारनपुर।
(जे.ओ. कोड–यू.पी.1704)